

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग, पूर्व सामान्य वनमंडल मंडला आयुपूर्ण कर चुके अंतिम रूप से राजसात वाहनों की सील बंद निविदा हेतु विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि वनमंडल अधिकारी पूर्व सामान्य वनमंडल मंडला अंतर्गत आयुपूर्ण कर चुके अंतिमरूप से राजसात वाहनों की नीलामी हेतु सील बंद निविदा/खुली नीलामी के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है :-

निविदा	निविदा खोलने का स्थल	फार्म प्राप्त करने की तिथि व समय	फार्म जमा करने की तिथि व समय	निविदा खोलने की तिथि व समय
1	2	3	4	5
प्रथम निविदा	कार्यालय पूर्व सामान्य वनमंडल मंडला (म.प्र.)	14/11/2025 अपरान्ह 12.30 बजे तक	14/11/2025 अपरान्ह 2 बजे तक	14/11/2025 अपरान्ह 3 बजे से
द्वितीय निविदा		21/11/2025 अपरान्ह 12.30 बजे तक	21/11/2025 अपरान्ह 2 बजे तक	21/11/2025 अपरान्ह 3 बजे से
तृतीय निविदा		28/11/2025 अपरान्ह 12.30 बजे तक	28/11/2025 अपरान्ह 2 बजे तक	28/11/2025 अपरान्ह 3.00 बजे से

इच्छुक व्यक्ति वनमंडल अधिकारी पूर्व सामान्य वनमंडल मंडला के कार्यालय में दी हुई समय सीमा तक व्याने की राशि बैंक ड्राफ्ट सहित सील बंद निविदा के साथ जमा कर सकेंगे। प्रथम निविदा में शासन के निर्देशों के अनुरूप दरें प्राप्त न होने की स्थिति में द्वितीय एवं तृतीय निविदा आमंत्रित की जावेगी। इसके पश्चात भी निर्धारित दर प्राप्त नहीं होती है तब खुली नीलामी की जावेगी।

वाहनों का विवरण

क्रमांक	अंतिम रूप से कर चुके राजसात वाहनों का प्रकार एवं पंजीयन क्रमांक		बयाने की राशि (बैंक ड्राफ्ट / सी0डी0आर0 के रूप में)	स्थान, जहाँ वाहन खड़ा है
1	2	3	4	5
1	पिकअप	MP20-GA-5215	4300.00	घुघरी परिक्षेत्र कार्यालय के प्रांगण में
2	बड़ा सवारी ऑटो	MP-51-R-0977 चेचिंस नम्बर XMD2A29AZ3CWJ12920X	4800.00	जगमंडल परिक्षेत्र कार्यालय के प्रांगण में
3	पावर ट्रेक्टर	ट्रेक्टर MP-51-AA-9720	17400.00	मोहगांव परिक्षेत्र कार्यालय के प्रांगण में

उपरोक्त निविदाओं के लिये दिनांक 07.11.2025 समय दोपहर 12:30 बजे से केवल ऑनलाईन माध्यम से निविदा आमंत्रित की जा रही है। इसके अलावा उक्त निविदा मध्यप्रदेश वन विभाग की विभागीय वेबसाइट ([https:// mpforest.gov.in](https://mpforest.gov.in)) पर भी देखी जा सकेगी।

वनमंडल अधिकारी
पूर्व सामान्य वनमंडल मंडला

नीलामी की शर्तें :-

वाहन के क्रय हेतु बयानों की राशि उपरोक्तानुसार प्रत्येक वाहन के लिये पृथक-पृथक राशि का बैंक ड्राफ्ट/सी0डी0आर0 राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी हो एवं वनमंडल अधिकारी पूर्व (सा0) वनमंडल मंडला के नाम से देय हो, उक्त तिथियों में सील बंद निविदा के साथ सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत की जा सकेगी। निविदाकार द्वारा यदि किसी भी एक वाहन के लिये बयानों की राशि का बैंक ड्राफ्ट/सी.डी.आर. निविदा के साथ जमा किया जाता है तो बयानों की राशि अनुसार उसी वाहन की निविदा स्वीकार की जावेगी जिसके लिये निर्धारित राशि जमा की गई है। निविदा निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त होने पर अमान्य की जावेगी।

1. सील बंद निविदायें उपस्थित निविदाकारों के समक्ष सक्षम अधिकारी द्वारा अपरान्ह 3.00 बजे खोली जावेगी। असफल निविदा पाई जाने पर जमा की गई बयानों की राशि का बैंक ड्राफ्ट/सी0डी0आर0 वापस लौटा दिया जावेगा। सफल निविदा पाये जाने पर बयानों की राशि का बैंक ड्राफ्ट/सी0डी0आर0 वाहन की पूरी रकम एवं देय समस्त करों की राशि जमा करने पर लौटाई जावेगी।
2. नीलामी की द्वितीय अधिकतम निविदा वाले व्यक्ति को बयानों की राशि वाहन विक्रय के उपरांत लौटाई जावेगी।
3. निविदाकार द्वारा निविदा प्रस्तुत करने पर यह माना जावेगा कि उसे निविदा की सभी शर्तें मंजूर हैं। निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने एवं नीलामी को आंशिक या पूर्ण रूप से रोक लेने का अधिकार वन मण्डल अधिकारी पूर्व (सा0) वनमण्डल मंडला को रहेगा। जिनका निर्णय अंतिम और बंधनकारी होगा। निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में निविदाकार द्वारा वाद नहीं लाया जा सकेगा।
4. सक्षम अधिकारी द्वारा निविदा स्वीकृत किये जाने के पश्चात् निविदा खुलने की दिनांक से 7 दिवस के अन्दर वाहन के विक्रय मूल्य एवं देय समस्त करों की राशि सहित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा। अन्यथा समय-सीमा के उपरांत बयाना बतौर जमा सत्यंकार की राशि शासन के पक्ष में राजसात कर ली जावेगी।
5. वाहन का निरीक्षण व अवलोकन कार्यालयीन दिवस एवं समय में उपरोक्तानुसार दर्शाये गये स्थानों में उक्त तिथियों के पूर्व तक किया जा सकता है।
6. वाहन के संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की एवं अन्य औपचारिकताएँ स्वयं के व्यय से क्रेता को पूर्ण करना होगा।
7. सफल निविदाकार को विक्रय मूल्य के अतिरिक्त शासन द्वारा निर्धारित समस्त करों की राशि का भुगतान भी करना होगा। (वाहनों के निविदा से प्राप्त राशि पर 9 % CGST & 9 % SGST Total 18 % GST) विक्रय किये गये वाहन का परिदान जहाँ वाहन खड़ा है, उसी स्थल से किया जावेगा।
8. वाहनों की नीलामी विज्ञप्ति जारी होने के उपरांत निविदा फार्म कार्यालयीन दिवस व समय पर 300/- (तीन सौ रुपये) जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं। जिसकी मनी रसीद तत्काल प्रदाय की जावेगी।

वनमंडल अधिकारी
पूर्व सामान्य वनमंडल मंडला